

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला-रायपुर

क्रमांक ²³⁴⁶/04-00084/वित्त/ब-4/2023 नवा रायपुर अटल नगर, दि. 6/11/2023
प्रति,


समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर

विषय :- वर्ष 2023-2024 के पुनरीक्षित अनुमान तथा वर्ष 2024-2025 के राजस्व प्राप्तियों के बजट प्रस्ताव पर विभागाध्यक्ष स्तरीय चर्चा।
सन्दर्भ :- वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 1934/वित्त/ब-4/2023 दिनांक 06.09.2023

—0—

संदर्भित ज्ञापन द्वारा वर्ष 2023-2024 के पुनरीक्षित अनुमान तथा वर्ष 2024-2025 के बजट अनुमान के लिए राजस्व प्राप्तियों का बजट प्रस्ताव दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 तक चाहा गया था। राजस्व प्राप्तियों के बजट प्रस्तावों पर प्रशासकीय विभागों के अधिकारियों के साथ विभागाध्यक्ष एवं सचिव, वित्त की अध्यक्षता में मंत्रालय के कक्ष क्रमांक-एस-2-12 में संलग्न सूची के अनुसार बैठक निर्धारित की गई है। कृपया बैठक में भाग लेने हेतु संबंधित विभागाध्यक्षों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

सूची के अतिरिक्त अन्य शेष विभागों के राजस्व प्राप्तियों के बजट प्रस्तावों पर चर्चा वर्ष 2024-2025 के बजट अनुमान के प्रस्तावों पर विभागाध्यक्ष एवं विशेष सचिव/संचालक बजट/ संयुक्त सचिव/उप सचिव स्तरीय चर्चा के समय की जाएगी।
संलग्न :- चर्चा कार्यक्रम


(निखिल कुमार अग्रवाल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

2347

पृ.क्र. /04-00084/वित्त/ब-4/2023 नवा रायपुर अटल नगर, दि. 06 /11/2023

प्रतिलिपि-

1. सचिव, वित्त के स्टॉफ ऑफिसर, मंत्रालय
2. संचालक बजट सह विशेष सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय
3. विशेष सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय
4. समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव, वित्त के निज सहायक
5. समस्त अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग,
6. प्रोग्रामर, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।

(निखिल कुमार अग्रवाल)
06/11/2023

(निखिल कुमार अग्रवाल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

राजस्व प्राप्तिथी के बजट प्रस्ताव 2024-25 पर चर्चा हेतु कार्यक्रम दिनांक 21.11.2023			
क्र.	प्रशासकीय विभाग	विभागाध्यक्ष	निर्धारित समय
1	2	3	4
1	वाणिज्यिक कर (जीएसटी)	आयुक्त, वाणिज्यिक कर	पूर्वाह्न 11.30 बजे
2	खनिज	संचालक, खनिज एवं भूमिकी	मध्याह्न 12.00 बजे
3	आबकारी	आयुक्त, आबकारी	अपरान्ह 12.30 बजे
4	ऊर्जा	मुख्य अभियंता, विद्युत सुरक्षा एवं विद्युत निरीक्षक	अपरान्ह 12.45 बजे
5	स्टाम्प एवं पंजीयन	महानिरीक्षक, स्टॉम्प एवं पंजीयन	अपरान्ह 2.30 बजे
6	परिवहन विभाग	आयुक्त, परिवहन	अपरान्ह 2.45 बजे
7	जल संसाधन	प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग	अपरान्ह 3.00 बजे
8	राजस्व विभाग	आयुक्त, भू-राजस्व	अपरान्ह 3.15 बजे
9	वन विभाग	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग	अपरान्ह 3.30 बजे

21/11/2023